न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 06/2023

दायर दिनांक 04.04.2023

उनवान

1. श्रीमति सलमा पुत्री शफी मोहम्मद पत्नि फकरूदीन नीलगर निवासी भोपालगढ (गाडरमाला) तहसील व जिला भीलवाडा हॉल निवासी सदर बाजार, मस्जिद के पास पहुंना तहसील राशमी जिला चितौडगढ।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
2. सरपंच ग्राम पंचायत भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा।

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–अधिवक्ता अपीलार्थीया मेहराज अली

–: अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट :–

–: निर्णय :–

दिनांक 26.03.2024

अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भोपालगढ प0ह0 भोपालगढ भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 554/3 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा भूमि अपीलार्थीया के पिता स्व. शफी मोहम्मद पिता करीमबक्ष मुसलमान के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। अपीलार्थीया के पिता शफी मोहम्मद के फौत होने के पश्चात् विरासत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1579 दिनांक 20.9.2004 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के द्वारा नामान्तरकरण खोला गया था, जिसमें अपीलार्थीया का नाम सजरे में अंकित होने के बावजूद नामान्तकरण खोले जाने के समय अपीलार्थीया का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने से रह गया, जिसकी जानकारी अपीलार्थीया को होने पर यह अपील पेश की जा रही है। खातेदार शफी मोहम्मद पिता करीमबक्ष फौत हो चुके है जिनके वैध उत्तराधिकरी का सजरा निम्न प्रकार है।

शफी मोहम्मद मृतक के विधिक वारिसान

1. फारूक पुत्र 2. ईशाक पुत्र, चांद मोहम्मद पुत्र, जीगरूद्दीन पुत्र, फातमा पत्नि, सलमा पुत्री वल्द शफी मोहम्मद मुसलमान है।

उक्त वर्णित सजरानुसार शफी मोहम्मद की अपीलार्थीया वैध पुत्री होकर विधिक वारिस है। शफी मोहम्मद के फौत होने के पश्चात् विरासत के आधार पर नामान्तकरण संख्या

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

1579 खोला गया, जिसमें पटवारी हल्का ने सलमा का नाम अंकित किया लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत भोपालगढ ने अपने निर्णय दिनांक 20.09.2004 में सलमा का नाम विरासत से इन्द्राज करने का आदेश प्रदान नही किया, जबकि अपीलार्थीया शफी मोहम्मद की पुत्री होकर विधिक वारिस है। अतः अपीलार्थीया को विरासत नामान्तरकरण में नाम दर्ज करने हेतु पुनः नामान्तरकरण कार्यवाही हेतु आदेश प्रदान करावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कियाविलम्ब के समय को क्षम्य करवाया जाकर अपील अपीलार्थीया स्वीकार करवाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 1579 दिनांक 20.09.2004 रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सरपंच ग्राम पंचायत भोपालगढ द्वारा पारित इन्तकाल अपास्त कराया जावे एवं अपीलार्थीया का नाम विरासत के आधार पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी को सुनकर अपील पेश करने में हुई देरी को न्यायहित में क्षम्य करते हुए दफा 05 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण के नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेन्टगण उपस्थित नही। अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस में अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए ग्राम भोपालगढ प0ह0 भोपालगढ भू0अ0नि0 पुर तहसील भीलवाडा में आराजी नम्बर 554/3 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा भूमि अपीलार्थीया के पिता शफी मोहम्मद पिता करीमबक्ष मुसलमान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, शफी मोहम्मद के फौत होने के पश्चात् विरासत के आधार पर नामानतकरण संख्या 1579 खोला गया, जिसमें पटवारी हल्का ने सलमा का नाम अंकित किया लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत भोपालगढ ने अपने निर्णय दिनांक 20.09.2004 में सलमा का नाम विरासत से इन्द्राज करने का आदेश प्रदान नही किया, जबकि अपीलार्थीया शफी मोहम्मद की पुत्री होकर विधिक वारिस है। अपीलार्थीया को विरासत नामान्तरकरण में नाम दर्ज कराने की अधिकारी है।

अपीलार्थी की अपील का अध्ययन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन् किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का भली भांति परीक्षण किया। ग्राम भोपालगढ के नामान्तरकरण संख्या 1579 में ग्राम भोपालगढ के आराजी संख्या 554/3 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा भूमि शफी मोहम्मद पिता करीमबक्ष मुसलमान सा0 देह के नाम दर्ज होकर विरासत में नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 09 में चांद मोहम्मद, फारूक मोहम्मद, जिगरू, ईशाक, सलमा पिता शफी मोहम्मद, फातमा पत्नि शफी मोहम्मद मुसलमान के नाम इन्द्राज किया गया पारिवारिक सजरा अंकित किया है। पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 1579 को ग्राम पंचायत भोपालगढ की कोरम में प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 20.9.2004 को सरपंच ग्राम पंचायत भोपालगढ ने चांद मोहम्मद, फारूक मोहम्मद, जिगरू, ईशाक पिता शफी मोहम्मद फातमा पत्नि शफी मोहम्मद का नाम इन्द्राज करने की स्वीकृति दी गई इस नामान्तरकरण में सलमा का नाम विरासत में स्वीकृत नही किया गया है। जबकि सलमा शफी मोहम्मद की

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

विधिक वारिस होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है। अपीलार्थी की अपील उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार योग्य ठहरती है अतः एंव

:: आदेश ::

अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार की जाकर ग्राम भोपालगढ प0ह0 भोपालगढ भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 1579 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2004 ग्राम पंचायत भोपालगढ को अपास्त किया जाता है एवं उक्त नामान्तरकरण को रिमाण्ड कर तहसीलदार भीलवाडा को निर्देश दिये जाते है कि शफी मोहम्मद के विधिक वारिसान की विधिवत जांच कर बाद जांच पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा